न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 103/2021 बउनवानी टीकाराम मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं प्रभारी अधि.संस्थापन,अनु. आरटीआई कार्यकर्ता, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रामडी, नि0 खेडली कलां

GCMS No-2021/297

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे वर्तमान समय अनुसार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी स्तर के कितने अधिकारीगण सरकारी सेवा में कार्यरत है सभी का एस.आर. रजिस्टर में नाम पते अनुसार प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।
2. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे श्री महेन्द्रपाल कटारा का कार्यकाल उक्त पद पर लगातार समय सीमा सहित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में लगभग 7 पद बताये जा रहे है। उनका कार्यकाल से संबंधित नियुक्ति से लेकर आज तक की समय सीमा सहित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।
4. यह है कि श्री लक्ष्मण लाल मीना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होते हुए भी इन्हे कार्यालय उपजिला कलेक्टर खण्डार पर प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से संबंधित पत्र क्रमांक दिनांक आदेश सहित की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावें।
5. यह है कि श्री लक्ष्मण लाल मीना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आदेश राज्य सरकार से पूरी तरह बन्द होने के बावजूद इन्हे वर्तमान में बिना राज्य सरकार की अनुमति के कार्यालय उपजिला कलेक्टर खण्डार में प्रतिनियुक्ति से संबंधित आदेशों की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे। क्योकि ऐसा कौनसा कार्य उपजिला कलेक्टर खण्डार मे श्री लक्ष्मण लाल मीना की सेवा के बिना प्रभावित हो रहा है उसका भी कारण सहित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायी जावे।
6. यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की विशेष सुविधा मुहैया करवा रखी है उसके बावजूद भी श्री लक्ष्मण लाल मीना वर्तमान में जो जिला मुख्यालय पर उक्त पद पर कार्यरत है वो भी सामान्य वर्ग से संबंधित है। मात्र श्री लक्ष्मण लाल मीना ही आरक्षित वर्ग एस.टी. का सदस्य होते हुए भी इन्हे किस अधिकार नियम के तहत कार्यालय जिला कलेक्टर स0मा0 मे इनकी सेवाये पूरी तरह से वंचित कर अनाधिकृत रूप से एक लम्बे समय से श्री लक्ष्मण लाल मीना कार्यालय उपजिला कलेक्टर खण्डार में तब्दील कर रखी है उसके प्रति जिम्मेदार अधिकारी का नाम पता सहित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।
7. यह है कि उक्त संबंध में आवेदक द्वारा पूर्व मं ही सूचना चाही गयी थी लेकिन संबंधित अधिकारी /कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर दलित वर्ग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को दबाव मे लेकर उनसे [illegible] चाही गयी सूचना से संबंधित जानबूझकर की मामले मे गैर कानूनी [illegible] अडंगा लगाने के लिए लिखवाई गयी थी कि व्यक्तिगत सूचना [illegible] आवेदक द्वारा कोई भी व्यक्तिगत सूचना नही मांगी जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित होकर उपलब्ध करवायी गयी सूचना पर आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्थापन अनुभाग के पत्रांक 6319 दिनांक 2.11.2021 से 20 पृष्ठ की सूचना भिजवाया जाना बताया है जबकि मुझे मात्र एक पृष्ठ की सूचना ही प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 5 की सूचना भी प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा नही दी गयी है। नही हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः प. 5(16)1/विविध/सू.का.अ/स्था./2020/ 6584 दिनांक 24.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 की सूचना कुल 20 पृष्ठों की अपीलान्ट को कोपिस्ट कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 11.11.2021 को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 6 की सूचना प्रश्नात्मक होने तथा बिन्दु संख्या 7 पर कोई सूचना वांछित नही होने के कारण दिया जाना सम्भव नही है। चूंकि कार्यालय मे उपलब्ध सूचना मे से देने योग्य सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 की सूचना अपीलान्ट को कोपिस्ट कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 11.11.2021 को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 6 की सूचना प्रश्नात्मक होने तथा बिन्दु संख्या 7 पर कोई सूचना वांछित नही ~~नही~~ होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:56:08 IST
Reason: SelfAttested